International Environmental
Law Research Centre

Madhya Pradesh District Mineral Foundation Rules, 2016

This document is available at ielrc.org/content/e1634.pdf

Note: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2016—श्रावण 6, शक 1938

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. एफ 19-5-2015-बारह-2.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9(बी) की उपधारा (1), (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठानों के गठन, कृत्यों तथा कार्य प्रणाली को विनियमित करने एवं जिला खनिज प्रतिष्ठानों में खनिजों के रियायत धारियों द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 है.

(2) ये नियम, राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67);

(ख) "मण्डल" से अभिप्रेत है, प्रतिष्ठान के न्यासियों का मण्डल;

(ग) "प्रतिष्ठान" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन गठित तथा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन लोक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी जिले का जिला खनिज प्रतिष्ठान;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ड़) "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना" (पीएमकेकेकेवाय) से अभिप्रेत है, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विविध विकासात्मक एवं कल्याण हेतु परियोजना/कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु भारत सरकार की स्कीम;

(च) "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016;

(छ) "राज्य खनिज निधि" से अभिप्रेत है, नियम 13 के उप नियम (2) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957(1957 का 67), खनिज परमाणु तथा हाईड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न रियायत नियम, 2016, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 तथा मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 में समनुदेशित किए गए हैं।

3. प्रतिष्ठान.–

(1) मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन किया जाएगा जिसे .....(जिले का नाम) जिला खनिज प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाएगा।

(2) प्रतिष्ठान एक शाश्वत निकाय होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी।

(3) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबंधों के अधीन यह प्रतिष्ठान एक अलाभप्रद न्यास होगा।

4. प्रतिष्ठान के उद्देश्य.–

न्यास, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) तथा समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उनका कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्कीमें तथा योजनाएं तैयार करेगा।

5. मण्डल.–

(1) प्रतिष्ठान के न्यासियों का मण्डल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:–

(एक) जिले का प्रभारी मंत्री, जो इसका अध्यक्ष होगा;

(दो) कलक्टर, उपाध्यक्ष होगा;

(तीन) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी–सदस्य सचिव;

(चार) खनिज, वन, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ऐसे अन्य विभागों के, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जिला स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी पदेन सदस्य होंगे;

(पांच) लोक सभा का सदस्य एवं मध्यप्रदेश विधान सभा का सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई मुख्य खनि रियायतें स्थित हैं;

(छह) अध्यक्ष, जिला पंचायत तथा प्रभावित क्षेत्रों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे।

(2) अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारियों या विशेषज्ञों या प्रभावित व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों को भी, जिन्हें वह आवश्यक समझे बोर्ड की बैठक में बुला सकेगा,

(3) मण्डल की बैठकों के लिए गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से होगी;

(4) मण्डल की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार होगी, तथा दो बैठकों के बीच का अंतराल 8 माह से अधिक नहीं होगा।

(5) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

6. **मण्डल की शक्तियां तथा कृत्य.–**

प्रतिष्ठान के प्रबंधन एवं कार्यकरण पर, राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों अथवा निर्देशों, के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए मण्डल का संपूर्ण नियंत्रण होगा तथा निम्नलिखित शक्तियां होंगी ;

(क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप प्राथमिकताओं का निर्धारण;

(ख) पांच वर्ष के लिए भावी योजना की अनुशंसा;

(ग) वार्षिक वित्तीय विवरणी का अनुमोदन;

(घ) प्रतिष्ठान के उपयुक्त कार्यकरण का अनुश्रवण।

7. **कार्यपालिका समिति की संरचना, शक्तियां तथा कृत्य.–**

(1) प्रतिष्ठान की कार्यपालिका समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क)	कलक्टर	– अध्यक्ष
(ख)	ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी	– सदस्य

(ग) जिले की अग्रणी बैंक के अधिकारी – सदस्य

(घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला– पंचायत कोई अन्य अधिकारी अथवा विशेषज्ञ जिसे अध्यक्ष विशेष आमंत्रिती के रूप में बुला सकेगा। – सदस्य सचिव

(2) कार्यपालिका समिति, मंडल के संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठान की गतिविधियों के दिन–प्रतिदिन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और विशिष्टतया उसे निम्नलिखित शक्तियां होगी,–

(क) पांच वर्ष के लिए भावी योजना तैयार करना;

(ख) लेखों का संधारण;

(ग) प्रगति का पर्यवेक्षण तथा कार्यों का निष्पादन;

(घ) राज्य सरकार तथा मण्डल द्वारा अधिकथित किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिष्ठान की निधियों का विनिधान;

(ड़) मण्डल द्वारा अनुशंसित पांच वर्षीय योजना के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट एवं कार्य योजना तैयार करना;

(च) 10 करोड़ रूपए तक की अनुमानित लागत वाली अनुशंसित वैयक्तिक परियोजनाओं मे से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष के माध्यम से मण्डल के अध्यक्ष से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे, दस करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा;

(3) कार्यपालिका समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार या एक से अधिक बार बैठक करेगी, यदि अपेक्षित हो।

8. प्रतिष्ठान की निधि.–

प्रतिष्ठान की निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(क) मुख्य खनिज पट्टों के पट्टेदारों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दरों से किए गए भुगतान;

(ख) अन्य जिला प्रतिष्ठानों से अंतरित की गई कोई निधि;

(ग) समस्त प्राप्तियां तथा आय जिसमें उससे प्रोद्भूत ब्याज सम्मिलित है;

(घ) किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन से प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त किया गया स्वेच्छा अंशदान, यदि कोई हो;

(ड़) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से ऋण/अनुदान तथा बजट प्रावधान।

9. बैंक खाता.–

(1) प्रतिष्ठान की समस्त निधियां, प्रतिष्ठान के बैंक खाते में, जो किसी अधिसूचित बैंक में होगा, जमा की जाएगी।

(2) प्रतिष्ठान के बैंक खाते का संचालन कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसका विनिश्चय कार्यपालिका समिति द्वारा किया जाएगा। इनमें से एक कार्यपालिका समिति का सदस्य संचिव होगा।

(3) प्रतिष्ठान द्वारा समस्त भुगतान,रूपए 5000 से अनधिक के छोटे भुगतानों को छोड़कर प्राप्त करने वाले के बैंक खाते में केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान द्वारा या खाते मे देय (अकाउन्ट पेयी) चैक के माध्यम से किया जाएगा।

10. पट्टेदारों द्वारा दिया जाने वाला अंशदान.–

(1) मुख्य खनिज के पट्टेदार द्वारा अंशदान उसी दिन तथा समय देय होगा, जिस दिन तथा समय ऐसी रायल्टी राज्य सरकार को देय है।

(2) मुख्य खनिज के पट्टेदारों को परिवहन पारपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके द्वारा प्रतिष्ठान को किया जाने वाला अंशदान प्रतिष्ठान को नहीं भेज दिया जाता।

(3) मुख्य खनिज के सभी पट्टेदार प्रतिष्ठान में उसी आवृत्ति में अपेक्षित भुगतान करेगा जिस अनुक्रम में राज्य सरकार को रायल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। यदि पट्टेदार प्रतिष्ठान को समय पर अपेक्षित भुगतान करने में असफल रहता है, तब वह प्रतिष्ठान को इस प्रकार देय मूल रकम के अतिरिक्त, विलंब अवधि के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

11. अनुज्ञेय कृत्य.–

प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उपबंधों के अनुरूप सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन तथा राज्य सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अन्य विकासात्मक कृत्यों के लिए किया जा सकेगा।

12. प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों की पहचान.–

(1) प्रभावित क्षेत्र–

(एक) ग्राम तथा ग्राम पंचायत जिसके भीतर खदानें स्थित हैं और संचालित हैं। ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी ग्राम, विकासखण्ड या जिले या राज्य तक विस्तारित हो सकते हैं।

(दो) वह क्षेत्र जिसकी परिधि में खदान या खदान का समूह, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, इस बात के होते हुए भी कि वह क्षेत्र संबंधित जिले अथवा समीपवर्ती जिले के भीतर आता है।

(तीन) वे ग्राम जिनमें खान के कारण परिवारों का परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनःस्थापनः/पुनर्वास किया गया हो।

(चार) वे ग्राम जो कि आर्थिक आवश्यकताओं के लिए खनन क्षेत्रों पर उल्लेखनीय रूप से आश्रित हों तथा परियोजना क्षेत्रों पर, तत्काल के लिए भोगाधिकार और परंपरागत अधिकार, चारागाह एवं लघु वनोपज के संग्रहण आदि के लिए रखता हो।

(2) अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र– वे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं किन्तु जहां स्थानीय जनसंख्या, खनन संबंधी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यद्यपि खनन के मुख्य नकारात्मक प्रभाव जल, मिट्टी एवं वायु की क्वालिटी ह्रास होना, जल प्रवाह का कम होना, भूजल स्तर का अवक्षय, कम होना तथा प्रदूषण होना, खनिज के परिवहन, से विद्यमान अवसंरचना एवं संसाधनों पर पड़ना हो सकते है।

(3) प्रतिष्ठान, ऐसे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार तथा संधारित करेगा।

(4) प्रभावित व्यक्तियों में सम्मिलित होंगे–

(क) "प्रभावित कुटुम्ब" जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, (2013 का 30) की धारा 3के खण्ड (ग) में परिभाषित किया गया है;

(ख) "विस्थापित कुटुम्ब" जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ट) में परिभाषित किया गया है;

(ग) संबंधित ग्राम सभा द्वारा समुचित रूप से परिलक्षित कोई अन्य व्यक्ति या कुटुम्ब;

(घ) वे व्यक्ति, जिसके पास खनन की जा रही भूमि के ऊपर वैधानिक एवं व्यावसायिक अधिकार हैं, और वे भी जिनके पास भोगाधिकार एवं परंपरागत अधिकार हैं;

(ङ) प्रतिष्ठान, ऐसे प्रभावित व्यक्तियों, स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार तथा संधारित करेगा।

13. निधियों का उपयोग.–

(1) प्रतिष्ठान के कार्यों का विस्तार :–

प्रतिष्ठान की निम्नलिखित गतिविधियां होंगी :–

(अ) उच्च प्राथमिकता क्षेत्र –

कम से कम 60 प्रतिशत निधि का उपयोग निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया जाएगा :–

(क) पेयजल प्रदाय – केन्द्रीय शुद्धिकरण प्रणाली, जल शोधन संयंत्र, स्थाई /अस्थाई जल वितरण संरचना जिसमें पेयजल के लिए आकस्मिक सुविधाएं, जल प्रदाय की पाइप लाइन प्रणाली बिछाना सम्मिलित है।

(ख) पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय :– प्रवाह उपचार संयंत्र, क्षेत्र में झरनों, झीलों, तालाबों, भू– जल, तथा अन्य जल स्त्रोतों के प्रदूषण का निवारण, खनन संक्रिया और उसके ढेर लगाने के कारण होने वाले वायु तथा धूल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपाय, खान की प्रवाह प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण

टेक्नोलॉजी तथा पर्यावरण अनुकूल तथा खान के सतत विकास के लिए चालू या परित्यक्त खानों के लिए तथा अन्य वायु, जल तथा सतही प्रदूषण के नियंत्रण के लिए तंत्र।

(ग) **स्वास्थ्य की देखभाल**– प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/ द्वितीयक/ तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को सृजित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न केवल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन बल्कि ऐसी सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कर्मचारिवृंद, उपकरण और आपूर्ति उपलब्ध कराने के उपबंधों पर जोर देना चाहिए। अपितु उन्हे उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्य तथा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य देखभाल की विद्यमान अवसंरचना के पूरक तथा अभिसरण योग्य होना चाहिए। खनन से संबंधित बीमारियों तथा रोगों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना का निर्माण करने में राष्ट्रीय खान श्रमिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है। खनन से प्रभावित व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल हेतु सामूहिक बीमा योजना लागू की जा सकती है।

(घ) **शिक्षा**–दूरस्थ क्षेत्रों में शाला भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला एवं शिल्प कक्षों, शौचालयों, पेयजल व्यवस्था, छात्रों, शिक्षकों के लिए आवासीय छात्रावास का निर्माण, खेल अवसंरचना, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा, शिक्षक / अन्य सहयोगी कर्मचारिवृंद का लगाया जाना, ई– शिक्षा व्यवस्था, परिवहन सुविधाएं (बस/ वैन/ साईकिल/ रिक्शा आदि) की अन्य व्यवस्थाएं तथा पोषण संबंधी कार्यक्रम।

(ङ) **महिला एवं बाल कल्याण**–मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य कुपोषण, किशोरवय, संक्रामक रोगों आदि की समस्याओं वाले विशिष्ट कार्यक्रम न्यास के अधीन किए जा सकते हैं।

(च) **वृद्ध एवं निःशक्त जन कल्याण**–वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम।

(छ) **कौशल विकास**– स्थानीय पात्र व्यक्तियों के जीवन यापन में सहयोग, आय सृजन तथा आर्थिक गतिविधियों के लिए कौशल का विकास किया जाना। परियोजनाओं योजनाओं में प्रशिक्षण, व्यावसायिक / कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वरोजगार योजना, स्वसहायता समूह का सहयोग एवं स्वरोजगार आर्थिक गतिविधियों के लिए अग्र एवं पृष्ठ श्रंखला के प्रावधान सम्मिलित किए जा सकते हैं।

(ज) **स्वच्छता**– अवशिष्ट को एकत्र किया जाना, परिवहन एवम् निपटारा, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, उचित जल–निकास तथा मैला शोधन संयंत्र तथा उपबंध, मैले कीचड़ के निपटारे के उपबंध, शौचालयों तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के प्रावधान।

(आ) **अन्य प्राथमिक क्षेत्र**– निम्नलिखित शीर्षों के अधीन 40 प्रतिशत निधि का प्रयोग किया जाएगा–

(क) **भौतिक अवसंरचना**– अपेक्षित भौतिक अवसंरचना और उसका अनुरक्षण उपलब्ध कराना– सड़क, सेतु, रेलवे एवं जलमार्ग की परियोजनाएं।

(ख) **सिंचाई**– सिंचाई के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास, उपयुक्त एवं उन्नत सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना।

(ग) **ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास**– ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों तथा वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का विकास, बागों, समेकित खेती एवं आर्थिक वनोद्योग तथा जलसंग्रहण का प्रत्यावर्तन।

(घ) खनन जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए कोई अन्य उपाय।

(2) सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत–

(क) प्रतिष्ठान के अंतर्गत चलाए जा रहे विकास एवं कल्याणकारी क्रियाकलापों को यथा सभंव, राज्य सरकार के साथ-- साथ केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/ वित्तपोषित परियोजनाओं की पूरक प्रकृति का होगा।

"प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे" के सिद्धांत के अधीन किए जाने के लिए तत्पार्यत क्रियाकलापों को प्रतिष्ठान के अधीन नहीं लिया जाए। तथापि, प्रतिष्ठान की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य एवं जिला योजनाओं के साथ तालमेल बनाना चाहिए जिससे प्रतिष्ठान द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, विकास तथा कल्याणकारी गतिविधियों के अनुपूरक हों और वे राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजट स्त्रोत के रूप में समझे जाएं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रतिष्ठान की वार्षिक प्राप्तियों की 3 प्रतिशत से अनधिक राशि प्रतिष्ठान के प्रशासनिक, पर्यवेक्षी तथा अन्य अतिरिक्त व्ययों के लिए उपयोग की जा सकती है। यथासंभव, प्रतिष्ठान के अधीन, अस्थाई/ स्थाई पदों का सजृन नहीं किया जाए। प्रतिष्ठान द्वारा अस्थाई/ स्थाई पदों के सजृन और वाहन के क्रय के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। तथापि, न्यूनतम अपेक्षित कर्मचारिवृंद संविदा के आधार पर रखे जा सकेंगें।

(ग) यदि किसी जिले में खान से प्रभावित क्षेत्र अन्य जिले की क्षेत्राधिकारिता में भी आता है तो प्रतिष्ठान द्वारा खान से संग्रहीत

राशि का ऐसा प्रतिशत, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, अन्य संबंधित जिले के ऐसे क्षेत्र में क्रियाकलापों को किए जाने के लिए अंतरित किया जाएगा। ऐसी कोई परियोजना जो प्रभावित क्षेत्र/ सार्वजनिक लाभ के लिए है, किन्तु जिले की भौगोलिक सीमा से बाहर तक फैली है, उसे प्रतिष्ठान के अधीन राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् लिया जाना चाहिए। सड़कों, पुलों आदि के निर्माण जैसी सामान्य अवसंरचना के विकास के लिए परियोजनाएं, जिनकी निधि के उपयोग की प्राथमिकता के संबंध में उपयोगिता विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, उसे प्रकरणवार जिले के महत्व की परियोजनाओं के लिए भी लिया जा सकेगा। निधि की उपयोगिता सीमा से अधिक ऐसे कार्यों को हाथ में लिए जाने के पूर्व, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और इसकी सूचना केन्द्र सरकार को दी जाएगी।

(घ) वित्तीय मामलों में और उसके उपापन के लिए राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

(ङ) समस्त जिला खनिज प्रतिष्ठान, अपनी वार्षिक प्राप्तियों का निम्नानुसार प्रतिशत राज्य खनिज निधि में हस्तांतरण करेंगे जिससे किसी जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विकास से संबंधित कार्य या ऐसे कार्य जिनमें एक से अधिक जिले अन्तर्ग्रस्त हो, किए जा सकें:–

क्रमांक	वार्षिक प्राप्ति (करोड़ रूपये में)	राज्य खनिज निधि में हस्तांतरण योग्य राशि का प्रतिशत
1	0 से 5 करोड़ तक	0 प्रतिशत
2	5 करोड़ से 25 करोड़ तक	25 प्रतिशत

3	25 करोड़ से अधिक	50 प्रतिशत

उदाहरण:– यदि किसी जिला खनिज प्रतिष्ठान को किसी वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां राशि रूपये 125 करोड़ होती है। तब उसे राज्य खनिज निधि में निम्नानुसार राशि हस्तांतरित करना होगी:–

क्रमांक	हस्तांतरण योग्य राशि की सीमा	देय राशि
1	0 से 5 करोड़	निरंक
2	5 से 25 करोड़	5 करोड़
3	25 करोड़ से 125 करोड़	50 करोड़
	कुल देय राशि	**55 करोड़**

14. राज्य खनिज निधि का प्रशासन –

(क) निधि का उपयोग– निधि का उपयोग नियम 13 में यथा वर्णित कार्यों को करने के लिए किया जाएगा।

(ख) समिति द्वारा निधि का प्रशासन –

(1) निधि का प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(एक) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग –अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग –सदस्य

(तीन) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग –सदस्य

(चार) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग —सदस्य

(पांच) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग —सदस्य

(छह) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग —सदस्य

(सात) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग —सदस्य

(आठ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग —सदस्य

(नौ) संचालक, बजट, वित्त विभाग —सदस्य सचिव

समिति का अध्यक्ष, किए जाने वाले विकास कार्यों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए ऐसे अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगा।

(2) वित्त विभाग निधि का प्रशासक होगा।

(3) समिति, राज्य के संबंधित विभाग से अथवा विशिष्ट जिला खनिज प्रतिष्ठान या जिला खनिज प्रतिष्ठानों के समूह से आरंभ किए जाने वाले नियम 13 में यथावर्णित विकास प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा उसकी अनुशंसा करेगी। ऐसे अनुशंसित प्रस्तावों पर अनुमोदन समन्वय में मुख्य सचिव के माध्यम से, समन्वय में, मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(4) समिति, प्रत्येक तीन माह की कालावधि में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी।

(5) निधि का उपयोग केवल उन्हीं प्रस्तावों/ परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जो समिति द्वारा अनुमोदित हैं।

(6) ऐसी परियोजनाओं / प्रस्तावों की तकनीकी, स्वीकृति और प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में राज्य सरकार के विद्यमान नियम लागू होंगे।

(7) निधि से खर्च का तरीका– निधि में राशि के जमा होने के पश्चात् प्रशासक, उपनियम (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार, समिति के अनुमोदन अनुसार, व्ययों की पूर्ति के लिए सीधे खाते से निधि निकालने का आदेश जारी करेगा। तथापि निधि से राशि के आहरण के पूर्व वित्त विभाग से परामर्श लिया जाएगा।

15. अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध–

अनुसूचित क्षेत्रों में जिला निधि के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, भारत के संविधान की अनुसूची पांच और अनुसूची छह के साथ पठित अनुच्छेद 244 में अंतर्विष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंधों तथा पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 40 सन् 1996) के उपबंध तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) के उपबंधों द्वारा, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित खनन प्रभावित ग्रामों के संबंध में लागू होगी।

(एक) ग्राम सभा का अनुमोदन–

(क) प्रतिष्ठान के अधीन की जाने वाली समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए,

(ख) शासन के विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन हितग्रहियों की पहचान के लिए अपेक्षित होगा।

(दो) संबंधित ग्राम में प्रतिष्ठान के अधीन हाथ में लिए गए कार्यों पर ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

16. कार्यों /ठेकों का निष्पादन–

(1) प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित कार्यों को शासकीय विभागों, अभिकरणों, पंचायत राज संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से, जो ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी है, निष्पादित किया जाएगा।

(2) ऐसे कार्यों के संबंध में जो निजी जन भागीदारी प्रणाली के माध्यम से निष्पादित किए जाने है, कार्यपालक समिति, कार्य का आवंटन किसी अन्य सक्षम और स्वस्थ एजेंसी को, मण्डल का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए कर सकेगी।

17. लेखों का संधारण–

(1) प्रतिष्ठान के लेखे ऐसी लेखा प्रक्रिया के अनुसार संधारित किए जाएंगे किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्रतिष्ठान के लेखे मण्डल द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रत्येक वर्ष संपरीक्षित किए जाएंगे और उसका प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ जन सामान्य के समक्ष रखा जाएगा।

18. वार्षिक प्रतिवेदन–

(1) प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर, कार्यपलिका समिति, संबंधित वित्तीय वर्ष की गतिविधियों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवाएगी और मण्डल के समक्ष रखेगी।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन, मण्डल द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से एक माह के भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिष्ठान की वेबसाइट भी डाला जाएगा।

(3) प्रत्येक प्रतिष्ठान का वार्षिक प्रतिवेदन, खनिज विभाग द्वारा राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

19. पारदर्शिता का अनुरक्षण–

प्रत्येक प्रतिष्ठान एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिस पर अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित जानकारी अद्यतन रूप में संधारित की जाएगी,–

(एक) प्रतिष्ठान का संरचनात्मक विवरण;

(दो) खनन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की सूची;

(तीन) पट्टेदारों एवं अन्य से प्राप्त समस्त अंशदानों का तिमाही विवरण;

(चार) प्रतिष्ठान द्वारा ली गई सभी बैठकों के एजेण्डा, कार्यवाही विवरण तथा कार्यवाही प्रतिवेदन (एटीआर);

(पांच) वार्षिक योजनाएं तथा बजट, कार्य आदेश, वार्षिक प्रतिवेदन;

(छह) किए जा रहे कार्यों की ऑनलाईन स्थिति– प्रतिष्ठान के अधीन चल रही समस्त परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की लागू स्थिति/प्रगति वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें कार्य का विवरण, हितग्राहियों का विवरण, प्राक्कलित राशि, लागू करने वाली एजेन्सी का नाम, कार्य प्रारंभ होने एवं समाप्त होने की अनुमानित तिथि तथा विगत तिमाही तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आदि सम्मिलित है;

(सात) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अधीन हितग्रहियों की सूची;

(आठ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण।

20. प्रतिष्ठान को भुगतान योग्य राशि की मानीटरिंग–

(1) प्रत्येक पट्टेदार प्रतिष्ठान को भुगतान योग्य राशि उस अधिकारी को, जिसे रायल्टी संदेय है, सूचना के अधीन ऐसे बैंक खाते में जमा करेगा जैसा कि प्रतिष्ठान विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्येक अधिकारी जो रायल्टी एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत है वह प्रत्येक पट्टेदार द्वारा भुगतान योग्य और भुगतान की जा चुकी रकम का रजिस्टर संधारित करेगा और उसका मासिक समेकित विवरण प्रत्येक माह के अंत में समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेगा।

21. इन नियमों के क्रियान्वयन को शिथिल करने की शक्ति–

राज्य सरकार, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से और लिखित में आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को, लागू करने में उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन शिथिल कर सकेगी जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

22. पुनर्विलोकन–

राज्य सरकार प्रतिष्ठान के "उद्देश्यों" के अनुकूल प्रत्येक पांच वर्षों में नियमों का पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण करेगी।

23. संशोधन–

इन नियमों में जब भी कोई संशोधन अपेक्षित हो, प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य मंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त कर, किया जा सकेगा।